

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.6 () आ.कृ./गु.नि./Notification/2021-22/9964-10149 दिनांक 8/3/22

1. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड (समस्त)
2. परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार), सीएडी, कोटा
3. उप निदेशक कृषि विस्तार आईजीएनपी, बीकानेर
4. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद (समस्त)
5. उप निदेशक उद्यान, खण्ड उदयपुर।
6. उप निदेशक उद्यान, जिला-उदयपुर।
7. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), (समस्त)
8. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी, सुल्तानपुर/कोटा/बून्दी
9. जिला विस्तार अधिकारी, आईजीएनपी मोहनगढ/बज्जू
10. सहायक निदेशक/कृषि अधिकारी उद्यान, कार्यालय उप निदेशक उद्यान, खण्ड उदयपुर।
11. कृषि अधिकारी आईजीएनपी, बीकमपुर
12. कृषि अधिकारी उद्यान समस्त, कार्यालय उप निदेशक उद्यान, जिला-उदयपुर।

विषय:-राजस्थान राजपत्र विशेषांक में साधिकार प्रकाशित नवीन अधिसूचनाएँ दिनांक 29.11.2021 बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों के निरीक्षकों एवं अधिसूचित प्राधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी हेतु राजस्थान राजपत्र विशेषांक में साधिकार नवीन अधिसूचनाएँ दिनांक 29.11.2021 जो दिनांक 23.02.2022 में प्रकाशित की गई है। प्रकाशित नवीन अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। प्रकाशित नवीन अधिसूचनाओं की अनुपालना सुनिश्चित करें। उक्त अधिसूचनाएँ कृषि विभाग की वेबसाइट <https://agriculture.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

संलग्न:-अधिसूचनाओं की प्रतियां।

(गजानन्द यादव)

संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.)

क्रमांक प.6 () आ.कृ./गु.नि./Notification/2021-22/9964-10149 दिनांक 8/3/22
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजि सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अति. निजि सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।
4. अति. निजि सचिव, आयुक्त उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।।
7. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन/एनएमओओपी/आदान/एटीसी/विस्तार/पौ0सं0/डब्ल्यू.सी./रसायन/आरकेवीवाई/योजना/एम एण्ड ई, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार), सीएडी, कोटा।
9. उप निदेशक कृषि (सूचना/उर्वरक/बीज/विस्तार), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
10. श्री शंकर बाबू, उप निदेशक कृषि, राज किसान साथी पोर्टल, कृषि आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि प्रकाशित नवीन अधिसूचनाओं के अनुसार निरीक्षकों एवं अधिसूचित प्राधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी की पोर्टल पर मैपिंग करावें।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचनाओं को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.)



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 04, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 23, 2022
Phalguna 04, Wednesday, Saka 1943- February 23, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि (ग्रुप-1/इनपुट) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 29, 2021

संख्या प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/2021 :- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक व मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 27 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में नियुक्त किये गये उर्वरक निरीक्षकों एवं उनके अधिकारिता क्षेत्र में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(8)कृषि-1/इनपुट/दिनांक 05 जनवरी 2015 एवं क्रमांक प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/2013 दिनांक 11 अगस्त 2017 में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

क्र.सं.	निरीक्षक पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.), राजस्थान, जयपुर	राजस्थान के समस्त राजस्व जिले
2	कृषि अधिकारी (बीज) राजस्थान, जयपुर	राजस्थान के समस्त राजस्व जिले
3	कृषि अधिकारी (पौ.सं.) समस्त राजस्थान, जयपुर	राजस्थान के समस्त राजस्व जिले
उदयपुर खण्ड		
1	सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय उपनिदेशक उद्यान खण्ड उदयपुर	उमरडा, मादरी, लकडवास खेमली व सनवाड में स्थित एसएसपी उर्वरक विनिर्माण ईकाई परिसर
2	कृषि अधिकारी उद्यान कार्यालय उपनिदेशक उद्यान खण्ड उदयपुर	उमरडा, मादरी, लकडवास खेमली व सनवाड में स्थित एसएसपी उर्वरक विनिर्माण ईकाई परिसर
3	उपनिदेशक उद्यान जिला उदयपुर	उमरडा, मादरी, लकडवास खेमली व सनवाड में स्थित एसएसपी उर्वरक विनिर्माण ईकाई परिसर
4	कृषि अधिकारी उद्यान समस्त कार्यालय उपनिदेशक उद्यान जिला उदयपुर	उमरडा, मादरी, लकडवास खेमली व सनवाड में स्थित एसएसपी उर्वरक विनिर्माण ईकाई परिसर

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ. एस. पी. सिंह,
संयुक्त शासन सचिव, कृषि।

**AGRICULTURE (GROUP-1/INPUT) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, November 29, 2021

No. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2021 - In exercise of the powers conferred under clause 27 of the Fertiliser (Inorganic, Organic and Mixed) (Control) Order 1985, the State Government hereby amends the Fertiliser Inspectors and their jurisdiction in the notification no. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/dated 05 January 2015 and no. F. 12(8) Agriculture-1/Input/2013 dated 11 August 2017 as follows:-

S. No.	Designation of the Inspector	Jurisdiction Area
1.	Joint Director Agriculture (Plant Protection) Rajasthan, Jaipur	All revenue districts of Rajasthan
2.	Agriculture Officer (Seed) Rajasthan HQ, Jaipur	All revenue districts of Rajasthan
3.	Agriculture Officer (Plant Protection) All Rajasthan HQ, Jaipur	All revenue districts of Rajasthan
Udaipur Division		
1.	Assistant Director Horticulture, Office of the Deputy Director Horticulture Division Udaipur	SSP Fertiliser Manufacturing Unit located at Umarda, Madari, Lakarwas Khemli and Sanwar Area
2.	Agriculture Officer Horticulture, Office of the Deputy Director Horticulture Division Udaipur	SSP Fertiliser Manufacturing Unit located at Umarda, Madari, Lakarwas Khemli and Sanwar Area
3.	Deputy Director Horticulture, District Udaipur	SSP Fertiliser Manufacturing Unit located at Umarda, Madari, Lakarwas Khemli and Sanwar Area
4.	All Agriculture Officer Horticulture, Office of the Deputy Director Horticulture District Udaipur	SSP Fertiliser Manufacturing Unit located at Umarda, Madari, Lakarwas Khemli and Sanwar Area

**by order of the Governor,
DR. S.P. SINGH,
JOINT SECRETARY TO GOVT.**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 04, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 23, 2022
Phalguna 04, Wednesday, Saka 1943- February 23, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि (ग्रुप-1/इनपुट) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 29, 2021

संख्या प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/2021 :- बीज अधिनियम 1966 (केन्द्रीय अधिनियम 54 वर्ष 1966) की धारा 13 की उपधारा (1) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड-12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में नियुक्त किये गये बीज निरीक्षकों एवं उनके अधिकारिता क्षेत्र में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/ दिनांक 05 जनवरी 2015 एवं क्रमांक प. 12(8)कृषि-1/इनपुट/2013 दिनांक 11 अगस्त 2017 में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

क्र.सं.	निरीक्षक पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.), राजस्थान, जयपुर	राजस्थान के समस्त राजस्व जिले
2	कृषि अधिकारी (उर्वरक) राजस्थान, जयपुर	राजस्थान के समस्त राजस्व जिले
3	कृषि अधिकारी (पौ.सं.) समस्त राजस्थान, जयपुर	राजस्थान के समस्त राजस्व जिले

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ. एस. पी. सिंह,
संयुक्त शासन सचिव, कृषि।

AGRICULTURE (GROUP-1/INPUT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 29, 2021

No. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2021 .- In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 13 of the Seeds Act 1966 (Central Act 54 of 1966) and clause 12 of the Seeds (Control) Order 1983, the State Government hereby amends the Seed inspectors and their jurisdiction in the notification no. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/ dated 05 January 2015 and no. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2013 dated 11 August 2017 as follows:-

